[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

Government of India Ministry of Finance (Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the May, 2025

S.O.____. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 26 of the Actuaries Act, 2006 (35 of 2006), the Central Government, hereby nominates Sh. Nihar N. Jambusaria, former President, ICAI as a member of the Disciplinary Committee constituted by the Council of the Institute of Actuaries of India *vice* Sh. D. Varadarajan, Advocate, with immediate effect for a period of three years or till further orders, whichever is earlier.

[F. No. M-16013/01/2024-Ins. I]

(ABDUL GUFRAN)

Under Secretary to the Government of India

(भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ) भारत सरकार वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, 6 मई, 2025

अधिसूचना

का.आ. बीमांकक अधिनियम, 2006 (2006 का 35) की धारा 26 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री डी. वरदराजन, अधिवक्ता के स्थान पर श्री निहार एन. जंबूसिरया, भूतपूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई को तत्काल प्रभाव से तीन वर्ष की अविध के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय बीमांकक संस्थान परिषद द्वारा गठित अनुशासनात्मक समिति के सदस्य के रूप में नामित करती है।

(फा.सं. एम-16013/01/2024-बीमा-I)

अब्दुल गुफरान) अबर सचिव, भारत सरकार